उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-152/2021/3357/26-3-2021-4(358)/07 टी.सी.।।।
लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर 2021

कार्यालय-ज्ञाप

समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-108/2021/2499/26-3-2021-4 (358) /07 टी.सी.-।।।, दिनांक-21.09.2021 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (दशम संशोधन) नियमावली-2021 के बिन्दु संख्या-13 के पैरा-v में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

बिन्दु संख्या-13 के पैरा- (v)

वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन
शैक्षणिक भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने जो भी बाद में हो, से भारत सरकार द्वारा जारी नियमावली मार्च 2021 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष हेतु निर्धारित दर पर देय होगी।	**अनुसूचित जाति** के छात्रों को शैक्षणिक भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** भारत सरकार द्वारा जारी नियमावली के अनुसार शैक्षणिक वर्ष हेतु निर्धारित दर पर देय होंगे तथा **अनुसूचित जनजाति** के छात्रों को शैक्षणिक भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से **जनजातीय कार्य मंत्रालय** भारत सरकार द्वारा जारी नियमावली के अनुसार निर्धारित दर पर देय होंगे।

2- उक्त संशोधन वर्ष 2021-22 से लागू होंगे एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (दशम संशोधन) नियमावली-2021 के शेष प्राविधान पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव

पृ0सं0-152 /2021/3357 (1)/26-3-2021 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0 शिक्षा/ उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ।
4- निदेशक, जनजाति विकास/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11-गार्ड फाईल।

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।